प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3537/2007

याचिकाकर्ता: हेमराज अग्रवाल

विरुद्ध

उत्तरवादीगण: श्रीमती भारती एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 28.02.2008 को सूचीबद्ध करें ।

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3537/2007

याचिकाकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 1:

हेमराज अग्रवाल, आत्मज गोवर्धन दास अग्रवाल, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी-लोधीपारा स्टेशन रोड, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. श्रीमती भारती, पत्नी रामेश्वर, आयु लगभग 26 वर्ष।

2. रामेश्वर, आत्मज बिसौहा सुनहरे, आयु लगभग 31 वर्ष।

निवासी गुढियारी, रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

.....वादीगण

3. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

.....प्रतिवादी क्रमांक 2

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री रतन पुष्टी, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से श्री सत्येन्द्र साहू, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 3/राज्य की ओर से श्री राजेन्द्र अग्रवाल, पैनलअधिवक्ता।

// आदेश //

(दिनांक 28.02.2008 को पारित)

न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा :

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विद्वान 7वें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, रायपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 110-क/06 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.04.2007 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा विद्वान व्यवहार न्यायाधीश ने प्रतिवादी के प्रतिदावा सम्मिलित करने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता') के आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रस्तुत संशोधन आवेदन को निरस्त कर दिया है। इस याचिका में पक्षकारों को उनके विचारण न्यायालय के समक्ष स्तर के अनुसार ही संदर्भित किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में इस याचिका के प्रयोजन हेतु आवश्यक तथ्य यह हैं कि वादीगण ने घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश हेतु एक व्यवहार वाद इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि उन्होंने वाद भूमि को दिनांक 22.03.2004 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया था और तब से उनका नाम राजस्व अभिलेखों में नामांतरित है तथा वे कब्जे में हैं। तथापि, प्रतिवादी क्रमांक 1 यह दावा कर रहा है कि वह वाद भूमि का

स्वामी है और वह वादीगण को बलपूर्वक बेदखल कर देगा। उसने राजस्व प्राधिकारियों के समक्ष अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने हेतु तुच्छ आवेदन भी प्रस्तुत किया। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने लिखित कथन दिनांक 12.09.2005 में वाद के कथनों से इनकार किया और यह दावा किया कि वाद भूमि उसके द्वारा दिनांक 20.03.2005 को सुरेश नत्थूजी नामक व्यक्ति से 72,000/- रुपये का प्रतिफल संदाय कर क्रय की गई थी। उसने यह भी अभिवचन किया कि हल्का पटवारी के साथ मिलीभगत कर राजस्व अभिलेखों में हेरफेर करके वादीगण के विक्रेताओं ने अपने नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा लिए। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया और अपने लिखित कथन में निम्नलिखित संशोधन सम्मिलित करने की अनुमति मांगी:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

i. वाद के लंबित रहने के दौरान, वादीगण के पक्ष में नामांतरण आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी क्रमांक 1 की अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई और तदनुसार वादीगण एवं अन्यों के नाम राजस्व अभिलेखों से हटा दिए गए हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दर्ज किया गया है।

ii. वाद के लंबित रहने के दौरान, वादीगण ने न्यायालय को बिना किसी सूचना के वाद भूमि के 560 वर्ग फुट के एक हिस्से पर अवैध रूप से मकान का निर्माण कर लिया है और तदनुसार उस अवैध निर्माण को हटाने हेतु आज्ञापक व्यादेश की प्रार्थना की गई।

3. विद्वान व्यवहार न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश द्वारा संशोधन आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया, तथापि, संशोधन की वह प्रार्थना जिसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वाद के लंबित रहने के दौरान विवादित भूमि पर अवैध निर्माण हटाने हेतु आज्ञापक व्यादेश की मांग की थी, इस टिप्पणी के साथ अस्वीकार कर दी गई कि प्रस्तावित संशोधन द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 ने एक प्रतिदावा स्थापित करने की प्रार्थना की है और इसलिए, लिखित कथन में ऐसे संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने **रमेश चंद अरदवतिया विरुद्ध अनिल पंजवानी**[1] के प्रकरण में हुए निर्णय का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि न्यायालय की अनुमति से पहले से दाखिल लिखित कथन में संशोधन करके प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा स्थापित किया जा सकता है क्योंकि इस उपबंध का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की बहुलता से बचना और न्यायालय के समय की बचत करना है तथा पक्षकारों की असुविधा को दूर करना है ताकि एक ही पक्षकारों के बीच के सभी विवादों

[1] (2003) 7 scc 350

का निर्णय एक ही कार्यवाही के दौरान किया जा सके। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **गुरबचन सिंह विरुद्ध भाग सिंह एवं अन्य**[2] के प्रकरण में हुए निर्णय का अवलंब लेते हुए तर्क दिया कि एक वाद में प्रतिवादी, नियम 6 के तहत मुजरा का अभिवचन करने के अपने अधिकार के अतिरिक्त, वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावा के रूप में, वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार या वाद-हेतुक के संबंध में दावा कर सकता है, जो या तो वाद दायर करने से पहले या बाद में उत्पन्न हुआ हो, परंतु प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने से पहले। प्रतिवादी वाद में नियम 6 के अतिरिक्त वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिदावा के माध्यम से वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को प्राप्त किसी भी अधिकार या वाद-हेतुक के संबंध में दावा कर सकता है। **बलदेव सिंह एवं अन्य विरुद्ध मनोहर सिंह एवं अन्य**[3] के प्रकरण का भी अवलंब लिया गया है और यह तर्क दिया गया कि अभिवचनों के संशोधन को उदारतापूर्वक अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि दूसरे पक्ष को गंभीर अन्याय या अपूरणीय क्षति न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई विवेकाधीन शक्ति में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस याचिका के लंबित

[2] (1996) 1 scc 770
[3] 2007 (II) MPJR 27

रहने के दौरान, विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में वाद-विषय निर्मित कर दिए गए हैं और प्रकरण साक्ष्य दर्ज करने हेतु नियत किया गया है और यदि इस स्तर पर संशोधन की अनुमति दी जाती है, तो इससे उत्तरवादीगण को गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वादी के घोषणा और शाश्वत व्यादेश के वाद में प्रतिवादी को ऐसा प्रतिदावा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसके द्वारा वादी द्वारा किए गए कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए आज्ञापक व्यादेश की प्रार्थना की गई हो। **अजेन्द्रप्रसादजी एन. पांडे एवं अन्य विरुद्ध स्वामीकेशवप्रकाशदासजी**[4] एवं **उषा बालासाहेब स्वामी एवं अन्य विरुद्ध किरण अप्पासाराव स्वामी एवं अन्य**[5] के प्रकरणों का अवलंब लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना।

7. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा लिखित कथन में संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। वह संशोधन जिसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिदावा स्थापित करने की प्रार्थना की थी, इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत लिखित कथन में संशोधन करके प्रतिदावा स्थापित नहीं किया जा सकता है और आवेदन को खारिज करने के लिए कोई अन्य कारण नहीं बताया गया। संशोधन

[4] AIR 2007 Supreme Court 806
[5] AIR 2007 Supreme Court 806

के आवेदन के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उपरोक्त संशोधन इस आधार पर मांगा है कि वाद के लंबित रहने के दौरान वादीगण ने न्यायालय को सूचित किए बिना वाद भूमि के एक हिस्से पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया है और तदनुसार, अवैध निर्माण को हटाने के लिए आज्ञापक व्यादेश की प्रार्थना को प्रतिदावा के रूप में लिखित कथन में सम्मिलित करने की मांग की गई है।

8. **रमेश चंद्र**[1] के प्रकरण में कंडिका 28 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता के आदेश 8 की योजना के अनुसार व्यवहार वाद में प्रतिदावा अभिवचन करने या स्थापित करने के तीन तरीके हैं। प्रथम, नियम 1 के तहत दाखिल लिखित कथन में स्वयं एक प्रतिदावा हो सकता है जो नियम 1 के साथ पठित नियम 6-क के आलोक में, नियम 6-क द्वारा प्रदत्त विधिक अधिकार के प्रयोग में वादी के दावे के विरुद्ध एक प्रतिदावा होगा। द्वितीय, एक प्रतिदावा पहले से दाखिल लिखित कथन में न्यायालय की अनुमति के अधीन सम्मिलित संशोधन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। तृतीय, एक प्रतिदावा नियम 9 के तहत अनुवर्ती अभिवचन के माध्यम से दायर किया जा सकता है। बाद के दो मामलों में, प्रतिदावा यद्यपि नियम 6-क के संदर्भ में है, उसे अधिकार के रूप में अभिलेख पर नहीं लाया जा सकता अपितु वह न्यायालय में निहित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेकाधीन शक्ति द्वारा शासित होगा। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिदावा दायर करने को सक्षम बनाने वाले उपबंध का उद्देश्य न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता से बचना और न्यायालय के समय की बचत करना तथा पक्षकारों की असुविधा को दूर करना है। जहाँ संशोधन के माध्यम से या अनुवर्ती अभिवचन के माध्यम से प्रतिदावा की अनुमति देने का परिणाम विचारण को लंबा खींचना, कार्यवाही को जटिल बनाना या वाद की प्रगति में विलंब करना हो, वहाँ न्यायालय एक विलंबित प्रतिदावा की अनुमति न देने के पक्ष में अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने में न्यायोचित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **गुरबचन सिंह**[2] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यादेश के वाद में, कब्जे के लिए प्रतिदावा पर भी विचार किया जा सकता है। **बलदेव सिंह**[3] के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभिवचनों के संशोधन को उदारतापूर्वक अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि दूसरे पक्ष को गंभीर अन्याय या अपूरणीय क्षति होने की संभावना न हो और यह उपबंध न्यायालय को अभिवचनों के संशोधन की अनुमति देने में व्यापक और निरंकुश विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।

10. अतः, उपरोक्त उद्धृत निर्णयों में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत से यह सुस्पष्ट है कि उपयुक्त मामलों में प्रतिवादी को लिखित कथन संशोधित करने की अनुमति देकर प्रतिदावा स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है, भले ही उसने लिखित कथन दाखिल कर दिया हो। तथापि, प्रतिवादी प्रतिदावा स्थापित करने हेतु लिखित कथन में संशोधन का दावा अधिकार के रूप में नहीं कर सकता और यह संशोधन की अनुमति देने या इनकार करने की न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है।

11. **अजेन्द्रप्रसादजी एन. पांडे**[4] के प्रकरण में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संशोधन की अनुमति उस विलंबित स्तर पर नहीं दी जानी चाहिए जब विचारण प्रारंभ हो चुका हो और जब वाद-विषय तय हो चुके हों और मामला साक्ष्य दर्ज करने हेतु नियत हो। **उषा बालासाहेब स्वामी**[5] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ विचारण न्यायालय द्वारा संशोधन हेतु संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत आवेदन का निर्णय करने में विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया गया है, वहाँ उच्च न्यायालय द्वारा उसमें सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान व्यवहार न्यायाधीश ने संशोधन के आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया और प्रतिदावा को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि लिखित कथन में संशोधन के

माध्यम से प्रतिदावा स्थापित नहीं किया जा सकता है। **रमेश चंद**[1] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, विद्वान व्यवहार न्यायाधीश द्वारा प्रतिदावा की अनुमति न देने के लिए बताए गए कारण प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण हैं। आक्षेपित आदेश पारित करते समय वाद प्रारंभिक स्तर पर था, मामला परिणामी संशोधन हेतु नियत था, वाद-विषय अभी विरचित होने बाकी थे और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने संशोधन आवेदन वाद के विलंबित स्तर पर प्रस्तुत किया है और इससे वाद के निराकरण में अनुचित विलंब होगा। इसके विपरीत, प्रस्तावित संशोधन द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 ने यह अभिवचन किया है कि वाद के लंबित रहने के दौरान वादीगण ने वाद भूमि के एक हिस्से पर अतिक्रमण करके मकान का निर्माण किया है और तदनुसार कथित अवैध निर्माण को हटाने की प्रार्थना की है। अतः, इस न्यायालय के सुविचारित अभिमत में यदि प्रतिवादी क्रमांक 1/याचिकाकर्ता को उपरोक्त अभिवचनों को सम्मिलित करने और प्रतिदावा स्थापित करने की अनुमति दी जाती है, तो वाद संपत्ति के संबंध में मुकदमेबाजी करने वाले पक्षकारों के बीच के सभी मुद्दों का न्यायनिर्णयन एक ही कार्यवाही में हो सकेगा और इससे वादीगण/उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, संशोधन आवेदन को निरस्त करने हेतु आदेश दिनांक 27.04.2007 में उल्लिखित आधार कायम नहीं रखे जा सकते और इसलिए, आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

14. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है; विद्वान 7वें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, रायपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 110-क/06 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.04.2007 एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और फलस्वरूप, लिखित कथन (अनुबंध पी-2) में संशोधन हेतु आवेदन (अनुबंध पी-3) स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 विचारण न्यायालय में सुनवाई की अगली तिथि को या उससे पहले लिखित कथन में संशोधन पूर्ण करे।

15. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**